डिक्री

यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा, जिला हनुमानगढ़
पीठासीन अधिकारी :—श्री कल्पित शिवरान आर.ए.एस.

क्र0न0 — 157/2025

अनवान : —

1. विकाश कुमार पुत्र विजयसिंह जाति जाट निवासी जनाणा तहसील भादरा।

:—वादी

बनाम

3 विजय सिंह पुत्र लालचंद जाति जाट निवासी जनाणा तहसील भादरा।
4 नीतू बाला पुत्री विजयसिंह जाति जाट निवासी जनाणा तहसील भादरा।
5 रेखा पुत्री विजयसिंह जाति जाट निवासी जनाणा तहसील भादरा।
6 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा।

:—प्रतिवादीगण

आज यह वाद मुझ कल्पित शिवरान उपखण्ड अधिकारी भादरा के समक्ष वकील वादी श्री पवन कुमार व वकील प्रतिवादीगण श्री रामचंद्र बैनीवाल की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी मुताबिक राजीनामा आंशिक डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मोजा चक 1 एमआरएन के खाता सं0 152/117 के मु0 न0 17 के किला न0 10, 11, 20, 21 प्रत्येक किला की 0.253है0, मु0 न0 18 के किला न0 20, 21 प्रत्येक किला की 0.253है0 कुल रकबा 1.518है0 नहरी खातेदारी वादभूमि प्रतिवादी सं0 1 विजयसिंह के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज है उपरोक्त वादभूमि में से प्रतिवादी सं0 1 विजयसिंह का नाम कलमजन किया जाकर वादी विकाश कुमार पुत्र विजयसिंह को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है चूंकि प्रतिवादी सं0 1 ता 3 ने वादभूमि में से अपना सम्पूर्ण हक व हिस्सा वादी के पक्ष में त्याग कर शून्य कर लिया है इसलिए त्याग किये गये हिस्से पर पंजीयन विभाग को देय पंजीयन शुल्क एवं स्टाम्प ड्यूटी अदा करने पर व यदि कृषि भूमि रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरांत उपरोक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जाकर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करें।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 16/06/25 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(कल्पित शिवरान)
R.A.S
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादरा जिला हनुमानगढ़

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादरा (जिला-हनुमानगढ़)

Signature Not Verified

Digitally signed by Kalpit Shivran
Date: 2025.08.06 16:39:36 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा, जिला हनुमानगढ़
पीठासीन अधिकारी :—श्री कल्पित शिवरान आर.ए.एस.

प्र0न0 — 157 / 2025

मुकदमा : —

1. विकास कुमार पुत्र विजयसिंह जाति जाट निवासी जनाणा तहसील भादरा।

बनाम :—वादी

1. विजय सिंह पुत्र लालचंद जाति जाट निवासी जनाणा तहसील भादरा।
2. नीतू बाला पुत्री विजयसिंह जाति जाट निवासी जनाणा तहसील भादरा।
3. रेखा पुत्री विजयसिंह जाति जाट निवासी जनाणा तहसील भादरा।
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा।

:—प्रतिवादीगण

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थिति :— श्री पवन सिंहाग वादी
श्री रामचंद्र बैनीवाल प्रतिवादी

दिनांकः 16/06/25

निर्णय

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मौजा चक 1 एमआरएन के खाता सं0 152 / 117 के मु0 न0 17 के किला न0 10, 11, 20, 21 प्रत्येक किला की 0.253है0, मु0 न0 18 के किला न0 20, 21 प्रत्येक किला की 0.253है0 कुल रकबा 1.518है0 नहरी खातेदारी वादभूमि में प्रतिवादी सं0 1 विजयसिंह के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

वादी व प्रतिवादीगण हिन्दू है तथा हिन्दू विधि व रिति–रिवाज से शासित है। वाद भूमि वादी की पैतृक सम्पति है। जिसमें वादी व प्रतिवादीगण का जन्म से हक हिस्सा निहित है। वादी अपने हिस्से की भूमि को अपने दर्ज करवाने के लिए कहा तो प्रतिवादीगण आजकल आजकल करने लगे। अतः वादी अपने हिस्से की भूमि अपने नाम दर्ज करवा पाने का कानूनी अधिकारी है। यह ही विनाय मुखासमत है।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामिल होने के उपरान्त वादीगण व प्रतिवादीगण 1 ता 3 ने आपसी सहमती से राजीनामा पेश किया। प्रतिवादी सं0 4 की ओर से जवाब पेश किया गया।

बहस वकील उभयपक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने निवेदन किया वाद भूमि रोही मौजा चक 1 एमआरएन वादी की पैतृक सम्पति है। जिसमें वादी का जन्म से हक हिस्सा निहित है अतः मुताबिक राजीनामा वाद वादी स्वीकार किये जाने का निवेदन है। जिस पर वकील प्रतिवादीगण ने भी सहमती प्रकट की।

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। प्रस्तुत प्रकरण में वादी ने रोही मौजा चक 1 एमआरएन के खाता सं0 152 / 117 के मु0 न0 17 के किला न0 10, 11, 20, 21 प्रत्येक किला की 0.253है0, मु0 न0 18 के किला न0 20, 21 प्रत्येक किला की 0.253है0 कुल रकबा 1.518है0 नहरी खातेदारी वादभूमि में प्रतिवादी सं0 1 विजयसिंह के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज है में अपने हकों की घोषणा चाही है। प्रस्तुत दस्तावेजों से उक्त वाद भूमि पैतृक सम्पति है जिसमें वादी के साथ–साथ प्रतिवादीगण का जन्म से हक हिस्सा निहित है। प्रतिवादी सं0 1 के वादी व प्रतिवादी सं0 2 व 3 के अलावा अन्य कोई वारिस नहीं होना स्वीकार किया गया है। उपरोक्त वाद भूमि में वादी सं0 1 के साथ साथ प्रतिवादी सं 1 ता 3 बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार है। इस प्रकार उपरोक्त विवेचानुसार वाद वादी स्वीकार योग्य होने के कारण स्वीकार किया जाता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kalpit Shivran
Date: 2025.08.06 16:39:36 IST
Reason: SelfAttested

(राजस्व)
हनुमानगढ़

अतः वाद वादी मुताबिक राजीनामा स्वीकार किया जाता है तथा घोषणा की जाती है की रोही मोजा चक 1 एगआरएन के खाता सं0 152/117 के मु0 न0 17 के किला न0 10, 11, 20, 21 प्रत्येक किला की 0.253है0, मु0 न0 18 के किला न0 20, 21 प्रत्येक किला की 0.253है0 कुल रकबा 1.518है0 नहरी खातेदारी वादभूमि प्रतिवादी सं0 1 विजयसिंह के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज है उपरोक्त वादभूमि में से प्रतिवादी सं0 1 विजयसिंह का नाम कलगजन किया जाकर वादी विकाश कुमार पुत्र विजयसिंह को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है क्योंकि प्रतिवादी सं0 1 ता 3 ने वादभूमि में से अपना सम्पूर्ण हक व हिस्सा वादी के पक्ष में त्याग कर शून्य कर लिया है इसलिए त्याग किये गये हिस्से पर पंजीयन विभाग को देय पंजीयन शुल्क एवं स्टाम्प ड्यूटी अदा करने पर व यदि कृषि भूमि रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरांत उपरोक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जाकर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करें। पर्चा डीकी जारी हो।

निर्णय आज दिनांक ..16/06/15... को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा जिला हनुमानगढ़

(कल्पित शिवरान) R.A.S
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादरा जिला हनुमानगढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Kalpit Shivran
Date: 2025.08.06 16:39:36 IST
Reason: SelfAttested